# अध्याय-I

## राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

## परिचय

1.1 यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) के वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय निष्पादन को प्रस्तुत करता है। राजकीय उपक्रमों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित सरकारी कंपनियों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) एवं संसद/राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित विधानों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगमों को सम्मिलित किया गया है।

**सरकारी कंपनी**

- **एक कंपनी जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा अथवा एक या एक से अधिक राज्य सरकार द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकार द्वारा धारित किया जाता है, एवं इसमें वह कंपनी भी सम्मिलित है, जो की सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। {जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है}**

**सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां**

- **किसी अन्य कंपनी का स्वामित्व अथवा नियंत्रण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । {जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (4 सितंबर 2014) कंपनियों की (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 द्वारा परिभाषित किया गया है।)**

**सांविधिक निगम**

- **संसद/राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित विधान के अंतर्गत स्थापित निगम।**

प्रतिवेदन में दर्शाए गए राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन को उनके वित्तीय विवरणों के साथ-साथ राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर लिया गया है। इस प्रतिवेदन में राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की गई वर्ष 2019-20 (या पूर्व वर्षों के जिन्हे चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया)

के एकमात्र लेखापरीक्षा/पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप लेखों में संशोधन के साथ-साथ जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों[1] के प्रभाव को भी सम्मिलित किया गया है ।

प्रतिवेदन निगमित अभिशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अनुपालना की स्थिति का भी समग्र चित्रण है।

### *अधिदेश*

**1.2** सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखपरीक्षा सीएजी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) सपठित सीएजी (कर्तव्य, शक्ति, एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के अधीन की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएजी सनदी लेखाकारों को कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है एवं लेखों की लेखापरीक्षा किस प्रकार से की जानी है इस संबंध में दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सीएजी के पास पूरक लेखापरीक्षा कराने का अधिकार है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाले विधान के अंतर्गत सीएजी को उनके लेखों की लेखापरीक्षा या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में अथवा विधानों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा करने के पश्चात पूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

### *सरकार एवं विधानमंडल की भूमिका*

**1.3** राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से राजकीय उपक्रमों के कामकाज पर नियंत्रण करती है। इन राजकीय उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी एवं बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमंडल राजकीय उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी भी करता है। इसके लिए सरकारी कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ-साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा अथवा सांविधिक निगमों के संबंध में, जैसा कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी का (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम,1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत की सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

---

1 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक अंतिम रूप दिए गए/जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर।

## *प्रतिवेदन में सम्मिलित राजकीय उपक्रमों की प्रकृति*

**1.4** वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में विद्यमान 43 राजकीय उपक्रमों (40 सरकारी कंपनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) में से दो सरकारी कंपनियां[2] वर्ष के दौरान परिसमाप्त हो गईं एवं सीएजी के लेखापरीक्षा के कार्य-क्षेत्र से बाहर हो गईं थी, जबकि सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियां[3] लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के कार्य क्षेत्र में आ गई। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के कार्य-क्षेत्र में राजकीय उपक्रमों की संख्या बढ़कर 45 राजकीय उपक्रम हो गई, जिसमें 31 मार्च 2020 को 38 सरकारी कंपनियां, तीन सांविधिक निगम[4] एवं सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियां सम्मिलित थी, जैसा कि **अनुबंध 1.3** में दर्शाया गया है। साथ ही, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के आंकडों में दो कंपनियों के आंक़ड़े सम्मिलित नहीं हैं, जिनका समापन 2019-20 के दौरान हो गया था। कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। साथ ही, सरकारी कंपनियों में सम्मिलित तीन[5] अकार्यरत कंपनियां वह है, जिन्होंने गत तीन से 20 वर्षों से अपने संचालनों को बंद कर दिया था। इन अकार्यरत कंपनियों के निवेश एवं परिसमापन की स्थिति पर **अनुच्छेद 1.20** में चर्चा की गई है।

गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, इन 41 राजकीय उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों के अतिरिक्त) को आठ क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए, इन 41 राजकीय उपक्रमों का टर्नओवर (₹ 82793.75 करोड़), वर्ष के लिए राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 1020989 करोड़) का 8.11 प्रतिशत था। इन राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार टर्नओवर एवं टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी के सम्मुख अंश **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.1: 2019-20 के दौरान, राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी के सम्मुख अंश**

| क्रम संख्या | क्षेत्र का नाम | राजकीय उपक्रमों की संख्या | वर्ष के लिए टर्नओवर (₹ करोड़ में) | जीएसडीपी में टर्नओवर का अंश |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पॉवर एवं ऊर्जा | 15 | 66491.97 | 6.51 |

2 केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कंपनी लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड।

3 जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जेएससीएल), उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (यूएससीएल), कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (केएससीएल) एवं अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एएससीएल)।

4 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) एवं राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)।

5 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसएआईसीएल), राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड (आरसीएसीएल) एवं राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (आरजेवीएनएल)।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | उद्योग एवं व्यापार | 6 | 3146.36 | 0.31 |
| 3 | वित्त | 3 | 8228.34 | 0.81 |
| 4 | कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग | 4 | 923.97 | 0.09 |
| 5 | संस्कृति एवं पर्यटन | 2 | 62.80 | 0.01 |
| 6 | परिवहन | 2 | 1724.74 | 0.17 |
| 7 | शहरी विकास | 2 | 16.90 | 0.00 |
| 8 | अन्य | 7 | 2198.67 | 0.21 |
| | **कुल** | **41** | **82793.75** | **8.11** |

**स्रोतः एसपीएसईज के नवीनतम वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित सूचना।**

2019-20 के दौरान सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियों का टर्नओवर शून्य था।

## *राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा*

**1.5** सीएजी, अपने अधिदेश के अनुसार, सभी 42 कंपनियों (अर्थात 38 सरकारी कंपनियाँ एवं सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियाँ) के वार्षिक लेखों की पूरक लेखा परीक्षा करते है। तीन सांविधिक निगमों के संबंध में, सीएजी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के एकमात्र लेखापरीक्षक है जबकि राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) एवं राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) के संबंध में संबंधित विधानों के अन्तर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है एवं तत्पश्चात, सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

राजकीय उपक्रमों के 31 दिसंबर, 2020[6] तक प्राप्त नवीनतम अंतिम रूप दिए गये वित्तीय विवरणों के आधार पर, इस प्रतिवेदन में इन 45 राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन को सम्मिलित किया गया है। राजकीय उपक्रमों की प्रकृति एवं वित्तीय विवरणों की स्थिति **तालिका 1.2** में इंगित की गई हैः

**तालिका 1.2: प्रतिवेदन में सम्मिलित राजकीय उपक्रमों की प्रकृति**

| राजकीय उपक्रमों की प्रकृति | कुल संख्या | राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे प्रतिवेदन अवधि[7] के दौरान प्राप्त हुये | | | | राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे 31 दिसम्बर 2020 तक बकाया (कुल बकाया लेखे) थे। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019-20 के लिये लेखे | 2018-19 के लिये लेखे | 2017-18 के लेखे | कुल | |
| सरकारी कंपनियां | 38 | 27 | 12 | 1 | 40 | 11 (24) |

6 2019-20 के वार्षिक लेखों के प्रस्तुतीकरण के लिए नियत तिथि बढ़ाई गई।

7 अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020 तक।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सांविधिक निगम | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 (1) |
| **कुल** | **41** | **29** | **13** | **1** | **43** | **12 (25)** |
| सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां | 4 | 3 | - | - | 3 | 1 (1) |
| **कुल** | **45** | **32** | **13** | **1** | **46** | **13 (26)** |

**स्रोतः31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित सूचना।**

**अनुच्छेद 1.1** में कंपनी-वार लेखों की बकाया स्थिति को दर्शाया गया है।

| **इस प्रतिवेदन में सम्मिलित राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम)** | |
|---|---|
| **राजकीय उपक्रमों की कुल संख्या** | **41** |
| **राजकीय उपक्रम सम्मिलित** | **41** |
| **प्रदत्त पूँजी (41 राजकीय उपक्रम)** | **₹ 51383.84 करोड़** |
| **दीर्घावधि ऋण (41 राजकीय उपक्रम)** | **₹ 106204.75 करोड़** |
| **शुद्ध लाभ (25 राजकीय उपक्रम)** | **₹ 3843.10 करोड़** |
| **शुद्ध हानि (13 राजकीय उपक्रम)** | **₹ 489.54 करोड़** |
| **शून्य लाभ/हानि (3 राजकीय उपक्रम)[8]** | |
| **घोषित लाभांश/भुगतान (5 राजकीय उपक्रम)** | **₹ 43.75 करोड़** |
| **कुल परिसम्पत्तियां (41 राजकीय उपक्रम)** | **₹ 202115.12 करोड़** |
| **निवल मूल्य (41 राजकीय उपक्रम)** | **(-) ₹ 43148.15 करोड़** |
| **सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां** | |
| **राजकीय उपक्रमों की कुल संख्या** | **4** |
| **राजकीय उपक्रम सम्मिलित** | **4** |
| **प्रदत्त पूँजी** | **₹ 600.01 करोड़** |
| **दीर्घावधि ऋण** | **शून्य** |
| **शुद्ध लाभ (एक राजकीय उपक्रम)** | **₹ 0.05 करोड़** |
| **शुद्ध हानि (एक राजकीय उपक्रम)** | **₹ 0.02 करोड़** |
| **शून्य लाभ/हानि (2 राजकीय उपक्रम)[9]** | |
| **घोषित लाभांश/भुगतान** | **-** |
| **कुल परिसंपत्ति (4 राजकीय उपक्रम)** | **₹ 1363.27 करोड़** |
| **निवल मूल्य (4 राजकीय उपक्रम)** | **₹ 621.21 करोड़** |

8 छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड, धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।

9 एएससीएल एवं केएससीएल।

## राजकीय उपक्रमों में निवेश

### *सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों में हिस्सेदारी*

**1.6** 31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि हेतु 41 सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों में पूँजी एवं ऋण के रूप में निवेश की राशि **तालिका 1.3** में दी गई है:

**तालिका 1.3 राजकीय उपक्रमों में अंशपूँजी निवेश एवं ऋण**

*(₹ करोड़ में)*

| निवेश का स्रोत | 31 मार्च 2018 | | | 31 मार्च 2019[10] | | | 31 मार्च 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | कुल | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | कुल | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | कुल |
| राज्य सरकार | 44613.26 | 35092.44 | 79705.70 | 48435.56 | 20499.93 | 68935.49 | 50531.10 | 7618.37 | 58149.47 |
| राजकीय उपक्रम | 513.13 | 0.43 | 513.56 | 513.13 | 0.43 | 513.56 | 513.13 | 13.43 | 526.56 |
| केन्द्र सरकार | 31.02 | 0.00 | 31.02 | 31.02 | 0 | 31.02 | 31.02 | 0.00 | 31.02 |
| अन्य | 308.59 | 79652.73 | 79961.32 | 308.59 | 91292.43 | 91601.45 | 308.59 | 98572.95 | 98881.54 |
| कुल | **45466.00** | **114745.60** | **160211.60** | **49288.30** | **111792.79** | **161081.52** | **51383.84** | **106204.75** | **157588.59** |
| कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (% में) | **98.12** | **30.58** | **49.75** | **98.27** | **18.34** | **42.80** | **98.34** | **7.17** | **36.90** |

**स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।**

इन राजकीय उपक्रमों में कुल निवेश गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान थोड़ा कम हुआ। यह उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत ₹ 14721.97 करोड़ के ऋण राशि को पूँजी (₹ 905.50 करोड़) एवं सब्सिडी (₹ 13816.47 करोड़) में परिवर्तित करने के कारण हुआ था। इन राजकीय उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी का प्रमुख हिस्सा राज्य सरकार द्वारा निवेशित था।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के अन्त में इन राजकीय उपक्रमों में कुल निवेश के स्त्रोतों का वर्ष-वार वर्गीकरण **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

10 वर्ष 2019-20 के दौरान बंद हुई दो कंपनियों के आंकड़े वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं हैं।

**चार्ट 1.1: राजकीय उपक्रमों में 2017-18 से 2019-20 के दौरान कुल निवेश के स्रोत**

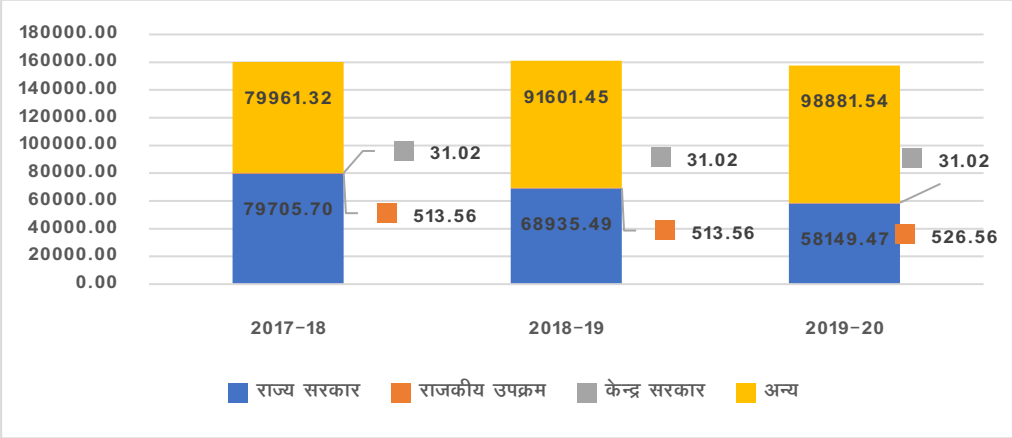


**कुल निवेश का प्रमुख हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों से संबंधित था, जैसा कि 31 मार्च 2020 तक कुल निवेश (₹ 145323.58 करोड़) का 92.22 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र राजकीय उपक्रमों में निवेशित था।**

## *पूँजी में निवेश*

**1.7** 2019-20 के दौरान,41 सरकारी कंपनियों एवं निगमों में पूँजी निवेश में ₹ 2095.54 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार द्वारा अंशों के निर्गमन (₹ 1190.04 करोड़) एवं ऋण के पूँजी में परिवर्तन (₹ 905.50 करोड़) के माध्यम से पूँजी का निवेश किया गया था। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान इन 41 राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा निवेश की गई पूँजी को **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 1.2: 41 राजकीय उपक्रमों में पूँजी**

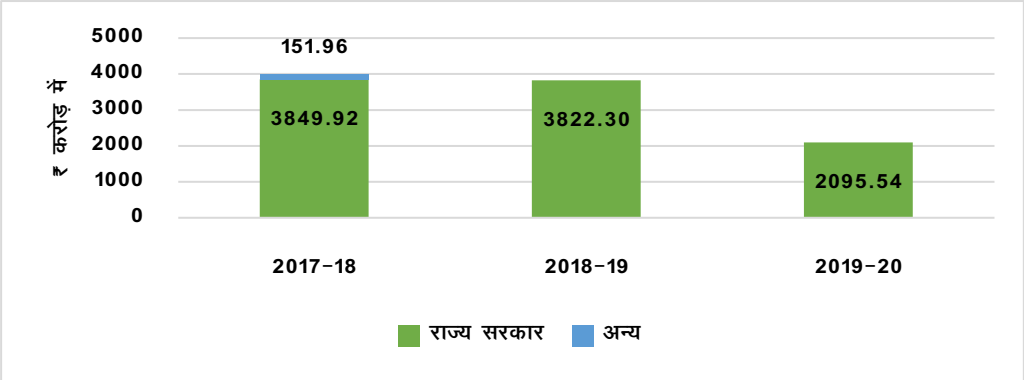


**वर्ष 2019-20 के दौरान, पूँजी पूर्णतया ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में निवेश की गयी थी।**

2019-20 के दौरान पांच ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में निवेशित पूँजी को **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.4: वर्ष 2019-20 के दौरान पूँजी निवेश**

| राजकीय उपक्रमों का नाम | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 549.04 |
| जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 533.43 |
| अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 447.54 |
| राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 350.00 |
| राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 215.53 |
| **कुल** | **2095.54** |

**स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।**

## *सरकारी कंपनियों एवं निगम को दिया गया ऋण*

**1.8** 31 मार्च 2020 को राजकीय उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के अतिरिक्त) में समस्त स्रोतों से कुल बकाया दीर्घावधि ऋण ₹ 106204.75 करोड़ था। 2019-20 के दौरान, राजकीय उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों में ₹ 5588.04 करोड़ की कमी दर्ज की गई। 31 मार्च 2020 को राजकीय उपक्रमों के कुल ऋणों में, राज्य सरकार से ऋण ₹ 7618.37 करोड़ (7.17 प्रतिशत) था।

राजकीय उपक्रमों में बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 1.3: 41 राजकीय उपक्रमों में बकाया दीर्घावधि ऋण**

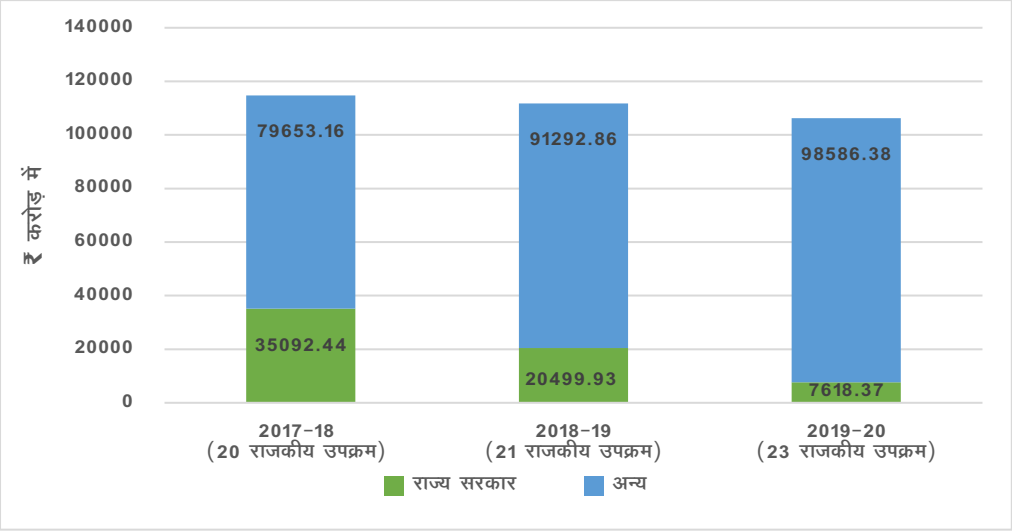


यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गये दीर्घावधि ऋणों की बकाया शेष राशि में महत्वपूर्ण कमी आई थी जबकि अन्य से लिए गये दीर्घावधि ऋणों की बकाया शेष राशि में वृद्धि हुई थी।

### *ऋणों का विश्लेषण*

**1.9** राजकीय उपक्रमों, जिन पर 2017-18 से 2019-20 के दौरान ऋण दायित्व थे, सरकार, बैंको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं (एफआईज) के ऋणों का दायित्व निर्वहन करने की उनकी क्षमता के आंकलन करने हेतु विश्लेषण किया गया था। इसका आंकलन राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गये लेखों में ब्याज व्याप्ति अनुपात, एवं कुल परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक ऋण से अनुपात के माध्यम से किया गया है। साथ ही, राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण का भी आंकलन किया गया है।

### *ब्याज व्याप्ति अनुपात*

**1.10** ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर रही थी। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 28 राजकीय उपक्रमों, जिन पर बकाया ऋण था, के ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 1.5** में दिया गया है:

**तालिका 1.5: ब्याज व्याप्ति अनुपात**

| वर्ष | ब्याज (₹ करोड़ में) | ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में) | राजकीय उपक्रमों[11] की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का भार था | राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था | राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 16209.42 | 17308.24 | 28 | 21 | 7[12] |
| 2018-19 | 13287.91 | 16021.81 | 28 | 18 | 10[13] |
| 2019-20 | 14534.03 | 18191.58 | 28 | 18 | 10[14] |

**स्रोतः राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।**

11 राजकीय उपक्रम, जो नवीनतम अंतिम रूप दिए गये वित्तीय विवरणों में वित्तीय लागत (अल्प कालिक ऋणों के साथ-साथ दीर्घकालिक ऋणों से संबंधित) रखते थे।

12 बाड़मेर टीपीसीएल, जीएलपीएल, जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएसीआईएल।

13 जीएलपीएल, बाड़मेर टीपीसीएल, आरआरवीपीएनएल, आरएसआईसीएल, जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, बीएलएमसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएसीआईएल।

14 जीएलपीएल, बाड़मेर टीपीसीएल, बांसवाड़ा टीपीसीएल, आरएसएचडीसीएल, जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएफसी, आरएसआरटीसी एवं आरएसएसीआईएल।

यह देखा गया था कि एक से अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या 2017-18 में 21 से घटकर 2019-20 में 18 हो गई थी।

## *ब्याज शुल्क का शोधन एवं मूलधन का पुर्नभुगतान*

**1.11** 28 राजकीय उपक्रमों, जिन पर 2019-20 के दौरान ऋणों का दायित्व था, में से चार राजकीय उपक्रमों ने 2019-20 के दौरान अपने ऋणों (मूलधन/ब्याज प्रभार) के शोधन में चूक की थी, जैसा कि **तालिका 1.6** में दर्शाया गया हैः

**तालिका 1.6: राजकीय उपक्रम, जिन्होंने मूलधन के पुर्नभुगतान एवं ब्याज प्रभार के शोधन में चूक की**

| क्रम संख्या | राजकीय उपक्रम का नाम | ऋण का स्त्रोत | चूक की राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | बैंक/वित्तीय संस्था | 546.91 |
| 2. | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड | बैंक/वित्तीय संस्था | 69.00 |
| 3. | राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड | राजस्थान सरकार | 0.75 |
| 4. | जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड | राजस्थान सरकार | 137.06 |

**स्त्रोतःसांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर संकलित।**

## *राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण*

**1.12** 31 मार्च 2020 को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये दीर्घावधि ऋणों पर तीन राजकीय उपक्रमों के समक्ष ₹ 138.27 करोड़ की ब्याज राशि बकाया थी। राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.7: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज**

*(₹ करोड़ में)*

| क्रम संख्या | राजकीय उपक्रम का नाम | राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज | 1 वर्ष से कम के लिये बकाया ब्याज | 1 वर्ष से 3 वर्षों के लिये बकाया ब्याज | 3 वर्षो से अधिक के लिये बकाया ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड | 137.06 | 26.60 | 53.19 | 57.27 |
| 2 | राजस्थान स्टेट होटल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड | 0.71 | 0.04 | 0.11 | 0.56 |
| 3 | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| | **कुल** | **138.27** | **26.64** | **53.30** | **58.33** |

**स्त्रोतः राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई सूचना।**

## *ऋण देयताओं को पूर्ण करने के लिए परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता*

**1.13** कुल परिसंपतियो से दीर्घावधि ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई कंपनी शोधक्षम रह सकती है। शोधक्षम माने जाने के लिए,

किसी इकाई की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके दीर्घावधि ऋण/कर्ज के योग से अधिक होना चाहिए। कुल 28 राजकीय उपक्रमों, जिन पर ऋण देनदारी थी, में से 20 राजकीय उपक्रमों में बकाया दीर्घावधि ऋण थे। इन 20 राजकीय उपक्रमों में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य से दीर्घावधि ऋणों की व्याप्ति **तालिका 1.8** में दी गई है।

**तालिका 1.8: कुल परिसंपत्तियों से दीर्घावधि ऋणों की व्याप्ति**

*(₹ करोड़ में)*

| राजकीय उपक्रम के प्रकार | धनात्मक व्याप्ति | | | | ऋणात्मक व्याप्ति | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजकीय उपक्रम की संख्या | दीर्घावधि ऋण | कुल परिसंपत्तियाँ | ऋणों से परिसंपत्तियों का प्रतिशत | राजकीय उपक्रम की संख्या | दीर्घकालीन ऋण | कुल परिसंपत्तियाँ | ऋणों से परिसंपत्तियों का प्रतिशत |
| सरकारी कंपनियां | 16 | 102997.29 | 174562.88 | 169.48 | 1 | 46.61 | 4.75 | 10.19 |
| सांविधिक निगम | 3 | 1946.13 | 15176.71 | 779.84 | - | - | - | - |

**स्त्रोतः- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।**

20 राजकीय उपक्रमों में से मात्र एक राजकीय उपक्रम (आरएसएआईसीएल), जो कि एक अकार्यरत राजकीय उपक्रम था, में कुल परिसंपत्तियों का मूल्य बकाया ऋणों से कम था।

## *अन्य बजटीय सहायता*

**1.14** पूँजी निवेश एवं दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त, राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान/सब्सिडी के रूप में राजकीय उपक्रमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। राज्य सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राजकीय उपक्रमों को राजस्थान राज्य गारंटी अनुदान अधिनियम (आरएसजीजीआर) 1970 के अंतर्गत गारंटी भी प्रदान करती है। सरकार ने आरएसजीजीआर, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिना किसी अपवाद के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से राजकीय उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन वसूल करने का निर्णय किया (फरवरी 2011)। 31 मार्च 2020 को समाप्त गत तीन वर्षों के लिये ,राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों के संबंध में अनुदान/सब्सिडी एवं गारंटी के पेटे बजटीय जावक का सारांशित विवरण **तालिका 1.9** में दिया गया हैं:

**तालिका 1.9: राजकीय उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजकीय उपक्रमों की संख्या | राशि | राजकीय उपक्रमों की संख्या | राशि | राजकीय उपक्रमों की संख्या | राशि |
| अनुदान/सब्सिडी | 12 | 24396.31 | 11 | 22012.86 | 12 | 23923.10 |
| निर्गमित गारंटियाँ | 6 | 15332.55 | 4 | 21671.76 | 7 | 13298.44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में गारंटी प्रतिबद्धता | 8 | 56482.00 | 8 | 60926.16 | 10 | 69536.24 |

**स्रोतः राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।**

2017-18 से 2019-20 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी में मुख्यतः उदय[15] योजना के अन्तर्गत राज्य डिस्कॉम्स द्वारा प्राप्त सब्सिडी थी। साथ ही, वर्ष 2019-20 के अंत में गत वर्षों की तुलना में बकाया गारंटी प्रतिबद्धताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। 2019-20 के दौरान, नौ राजकीय उपक्रमों द्वारा ₹ 619.87 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध ₹ 568.90 करोड़ का गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

**वर्ष 2019-20 के अंत में राजकीय उपक्रमों के प्रति राज्य सरकार की गारंटी प्रतिबद्धता उल्लेखनीय थी क्योंकि 2019-20 के दौरान यह राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 140113.81 करोड़)[16] का 46.30 प्रतिशत परिकलित की गई थी।**

## *बकाया लेखों वाले राजकीय उपक्रमों को बजटीय सहायता*

**1.15** राजकीय उपक्रमों की गतिविधियों की निगरानी एवं इन राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अन्तिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभागो पर हैं। संबंधित विभागो को बकाया लेखों के संबंध में त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था।

13 राजकीय उपक्रमों ,जिनके लेखों को 31 दिसम्बर 2020 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013/आरएसआरटीसी नियम 1964 में नियत है, में से पाँच राजकीय उपक्रमों को राजस्थान सरकार ने, जिस अवधि के दौरान इन राजकीय उपक्रमों के लेखे बकाया थे, ₹ 324.93 करोड़ (ऋणः ₹ 11.70 करोड़, सब्सिडीः ₹ 313.23 करोड़) प्रदान किये। राजकीय उपक्रम वार राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश का विवरण ,जिस अवधि के दौरान लेखे बकाया थे, **अनुबंध 1.1** में दर्शाया गया है। लेखों के अंतिमीकरण एवं इनकी अनुवर्त्ती लेखापरीक्षा के अभाव में 13 राजकीय उपक्रमों में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्यय उचित रूप से लेखांकित किये गये थे एवं उद्देश्य जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त कर लिया गया था। इसलिए, राज्य सरकार का इन राजकीय उपक्रमों में निवेश राज्य विधान सभा की निगरानी से बाहर रहा।

## *सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश*

**1.16** 31 मार्च 2020 को राज्य में सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियां थीं। इन चार कंपनियों में 31 मार्च 2020 को कुल पूँजी निवेश ₹ 600.01 करोड़ था, जिसे राज्य सरकार

15 उज्ज्वल डिस्कॉम एशोरेंस योजना।

16 राजस्थान सरकार के 2021-22 के वार्षिक बजट के अनुसार।

एवं इसके द्वारा नियंत्रित नगर निगमों द्वारा समान रूप से निवेश किया गया था। इन चार कंपनियों में 2019-20 के दौरान कोई पूँजी निवेश नहीं हुआ था। साथ ही, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में से किसी में भी 31 मार्च 2020 को दीर्घावधि ऋणों का दायित्व नहीं था।

### *राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान*

**1.17** पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के आंकड़े राजस्थान सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित राजकीय उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अतंर का मिलान करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2020 को, 45 राजकीय उपक्रमों में से 17 राजकीय उपक्रमों में वित्त लेखों में दर्शाये गये पूँजी ,ऋण एवं बकाया गारंटियों के आंकड़ों में एवं राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के आंकड़ों में अन्तर है, जो कि **अनुबंध 1.2** में दर्शाया गया हैं। 31 मार्च 2020 को ऐसे अंतरों की सांरांशित स्थिति **तालिका 1.10** में वर्णित है:

**तालिका 1.10: राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियां**

***(₹ करोड़ में)***

| मद के संबंध में बकाया | राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि | वित्त लेखों के अनुसार राशि |
|---|---|---|
| पूँजी | 48852.08 | 48883.71 |
| ऋण | 6299.60 | 6427.28 |
| गारंटिया | 69436.25 | 69433.00 |

**स्रोतः राजकीय उपक्रमों एवं वित्त लेखों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।**

### *राजकीय उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण*

**1.18 वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण नहीं किया गया था।**

### *अकार्यरत राजकीय उपक्रमों का समापन*

**1.19** तीन अकार्यरत सरकारी कंपनियां, जिन्होने गत तीन से 20 वर्षों की अवधि में अपने संचालनों को बंद कर दिया था, में 31 मार्च 2020 को पूँजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 16.27 करोड़) के पेटे कुल निवेश ₹ 28.04 करोड़[17] था। इन तीन अकार्यरत कंपनियों

17 आरएसएआईसीएल (₹ 22.28 करोड़), आरसीएसीएल (₹ 4.49 करोड़) एवं आरजेवीएनएल (₹ 1.27 करोड़)

में से एक (आरएसएआईसीएल[18]) परिसमापन की प्रक्रियाधीन है, जैसा कि सरकारी समापक की नियुक्ति की जा चुकी है। अन्य दो कंपनियां गत तीन से नौ वर्षों से अकार्यरत है, सरकार इन कंपनियों के संबंध में शीघ्र ही उचित निर्णय लेना चाहिए।

## राजकीय उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल

**1.20** 31 दिसंबर 2020 को नवीनतम अंतिम रूप दिए गए अपने लेखों के अनुसार राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **अनुबंध 1.3** में दर्शाये गये हैं।

### *राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ*

**1.21** 41 राजकीय उपक्रमों में से, 25 राजकीय उपक्रमों ने 2018-19 के साथ-साथ 2019-20 में भी लाभ अर्जित किया। लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ 2018-19 में ₹ 3284.75 करोड़ से बढ़कर ₹ 3843.10 करोड़ हो गया। तथापि, 2019-20 में लाभ का 85.92 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित था। यह उदय के अन्तर्गत डिस्कॉम्स को सब्सिडी के रूप में ₹ 13816.47 करोड़ जारी किए जाने के कारण था। राजकीय उपक्रमों की संख्या जिन्होने 2017-18 से 2019-20 के दौरान लाभ अर्जित किया को **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

***चार्ट 1.4: लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या***

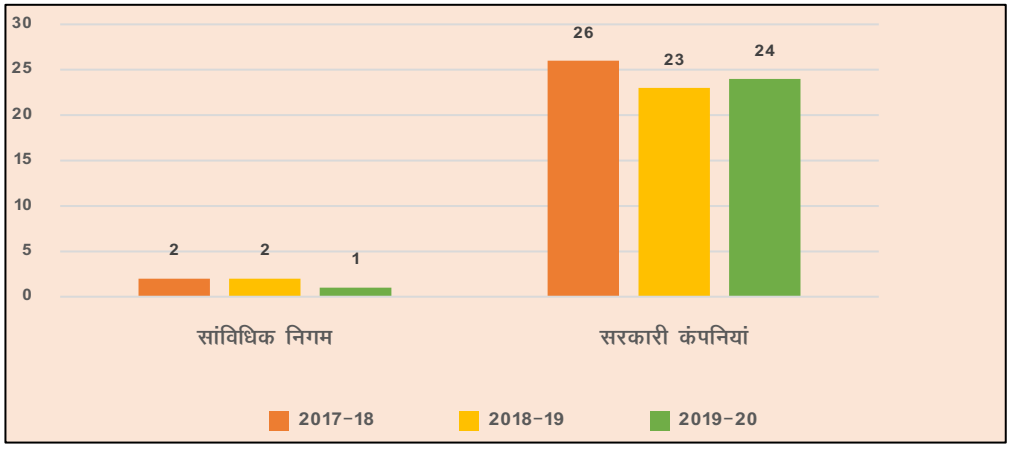


राजकीय उपक्रमों के नाम, जिन्होने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया, नीचे **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

18 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

**तालिका 1.11: राजकीय उपक्रम जिन्होने 2019-20 में ₹ 100 करोड़ या अधिक लाभ अर्जित किया**

*(₹ करोड़ मे)*

| क्र सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | अर्जित लाभ |
|---|---|---|
| 1 | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 2188.15 |
| 2 | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 788.06 |
| 3 | राजस्थान राज्य खान एंड खनिज लिमिटेड | 149.34 |
| 4 | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 148.85 |
| 5 | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 143.80 |

**स्त्रोतः राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर**

शीर्ष लाभ अर्जित करने वाले तीन राजकीय उपक्रमों के विश्लेषण से उजागर हुआ है कि शीर्ष दो राजकीय उपक्रमों ने उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी के कारण लाभ अर्जित किया। साथ ही, तीसरे राजकीय उपक्रम (आरएसएमएमएल) ने रॉक फॉस्फेट, खनिज जिसके लिये कम्पनी का देश में लगभग एकाधिकार है एवं यह देश के कुल उत्पादन का 98 प्रतिशत का योगदान करती है, के विक्रय से सारभूत राजस्व प्राप्त किया। रॉक फॉस्फेट खनन से लाभ का अंश वर्ष के कुल लाभ का 44 प्रतिशत था।

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में से केवल एक कंपनी (जेएससीएल) ने 2019-20 के दौरान ₹ 0.05 करोड़ रुपये का नाममात्र का लाभ कमाया।

### *राजकीय उपक्रमों में लाभांश का भुगतान*

**1.22** राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (सितंबर 2004) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले राजकीय उपक्रमों को प्रदत्त समता पूँजी पर 10 प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

45 राजकीय उपक्रमों में से, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों मे से किसी ने भी 2019-20 के दौरान राज्य सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

शेष 41 राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम) के प्रकरण में, राज्य सरकार ने केवल 32 राजकीय उपक्रमों में पूँजी निवेश किया था। 32 राजकीय उपक्रमों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए पूँजी निवेश किया गया था, से संबंधित लाभांश का भुगतान **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.12: 2017-18 से 2019-20 के दौरान राजकीय उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | कुल राजकीय उपक्रम जिनमें राज्य सरकार द्वारा पूँजी निवेश किया गया था | | वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रम | | राजकीय उपक्रम जिन्होनें वर्ष के दौरान द्वारा लाभांश घोषित/भुगतान किया | | लाभांश भुगतान अनुपात (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजकीय उपक्रम की संख्या | पूँजी निवेश | राजकीय उपक्रम की संख्या | पूँजी निवेश की राशि | राजकीय उपक्रम की संख्या | राजकीय उपक्रम द्वारा घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/5*100 |
| 2017-18 | 32 | 44613.26 | 25 | 41028.11 | 6[19] | 60.54 | 0.1476 |
| 2018-19 | 32 | 48435.56 | 23 | 41800.32 | 7[20] | 66.11 | 0.1582 |
| 2019-20 | 32 | 50531.10 | 23 | 48777.36 | 5[21] | 43.75 | 0.0897 |

**स्रोतः राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।**

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान, राजकीय उपक्रमों की संख्या, जिन्होनें लाभ अर्जित किया, 23 से 25 के मध्य थी, जबकि राज्य सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या मात्र पाँच एवं सात के मध्य थी। लाभांश भुगतान अनुपात 2017-18 से 2019-20 के दौरान मात्र 0.09 प्रतिशत एवं 0.16 प्रतिशत के मध्य रहा था।

इनमें से पाँच राजकीय उपक्रमों, जिन्होनें 2019-20 के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया, दो[22] राजकीय उपक्रमों ने निर्धारित सीमा से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि तीन[23] राजकीय उपक्रमों ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

## *पूँजी पर प्रतिफल*

**1.23** पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का माप है, जिससे यह आंकलन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा राजकीय उपक्रमों की परिसम्पत्तियों का उपयोग लाभो के सृजन करने में कितने प्रभावी रूप से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारको की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी उपक्रम के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं अंशधारको की निधि दोनों धनात्मक संख्यायें है।

---

19 आरएसएमएम, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसबीसीएल, रीको, आरएसएससीएल एवं आरआरईसीएल।

20 आरएसएमएम, रीको, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसबीसीएल, आरएसएससीएल, आरएसआरडीसीसीएल एवं आरआरईसीएल

21 आरएसएमएम, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसबीसीएल, आरएसएससीएल एवं आरएसपीएचसीएल।

22 आरएसएमएम एवं आरएसडब्ल्यूसी

23 आरएसएससीएल, आरएसबीसीएल एवं आरएसपीएचसीएल

कंपनी के अंशधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो कंपनी के हितधारको हेतु कितना शेष रहेगा। अंशधारकों की निधि का धनात्मक होना दर्शाता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं का भुगतान करने के लिए पर्याप्त परिसम्पतियाँ है जबकि ऋणात्मक अंशधारको की निधि का अर्थ है कि देयताएँ परिसम्पतियों से अधिक हैं।

पूँजी पर प्रतिफल की गणना 32 राजकीय उपक्रमों में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए इन राजकीय उपक्रमों के अंशधारको की निधि एवं आरओई का विवरण **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.13: राजकीय उपक्रम, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है, के संबंध में पूँजी पर प्रतिफल**

| वर्ष | राजकीय उपक्रमों की संख्या, जिनमे आरओई की गणना की गई | वर्ष के लिए शुद्ध आय[24] (₹ करोड़ में) | अंशधारको की निधि (₹ करोड़ में) | आरओई (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 32 | 2057.58 | -54182.75 | - |
| 2018-19 | 32 | 2893.35 | -47734.69 | - |
| 2019-20 | 32 | 3550.08 | -42199.81 | |

**स्रोत:- एसपीएसईज के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।**

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मार्च 2020 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान शुद्ध आय धनात्मक थी, तथापि, सभी तीन वर्षों के दौरान अंशधारकों की निधि ऋणात्मक थी। चूँकि, सभी वर्षो के दौरान अंशधारकों की निधि ऋणात्मक थी, इन राजकीय उपक्रमों के संबंध में आरओई की गणना नहीं की जा सकी। तथापि, ऋणात्मक अंशधारकों की निधि यह इंगित करती है कि इन राजकीय उपक्रमों की देयताएँ परिसम्पतियों से अधिक है।

2019-20 के दौरान राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार आरओई को **तालिका 1.14** में दिया गया है:

**तालिका 1.14: 2019-20 के दौरान राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार आरओई**

*(प्रतिशत में)*

| क्र सं. | क्षेत्र का नाम | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उद्योग एवं व्यापार | 7.02 | 8.20 | 5.09 |
| 2 | वित्त | 7.43 | 7.68 | 13.44 |
| 3 | कृषि, स्वाद्य एवं संबधित उद्योग | 2.74 | 21.36 | 17.32 |
| 4 | अन्य | 14.56 | 17.57 | 16.18 |

**स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।**

24 आंकड़े संबंधित वर्षों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार है।

साथ ही ,तीन क्षेत्रों[25] के आरओई की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि संचित हानियो के कारण इन क्षेत्रों की समस्त पूँजी का क्षरण हो गया था एवं अवधि के दौरान इन क्षेत्रों का निवल मूल्य ऋणात्मक था।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में से केवल एक कंपनी (जेएससीएल) ने 2019-20 के दौरान लाभ अर्जित किया। कंपनी द्वारा 2019-20 के दौरान अर्जित लाभ (₹ 0.05 करोड़) शेयरधारकों के कोष (₹ 204.45 करोड़) की तुलना में नगण्य था, इसलिए, आरओई भी बहुत नगण्य था।

### *हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रम*

**1.24** 41 राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगमों) में से 13 राजकीय उपक्रमों ने वर्ष 2019-20 के दौरान हानि वहन की। इन राजकीय उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानि 2018-19 में ₹ 747.61 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹ 489.54 करोड़ हो गयी, जैसा कि **तालिका 1.15** में दिया गया है:

**तालिका 1.15: 2019-20 के दौरान हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या**

*(₹ करोड़ में)*

| वित्तीय वर्ष | कुल राजकीय उपक्रम | वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या | वर्ष के लिये शुद्ध हानि | हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों की संचित हानि | हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों का निवल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 43 | 11 | 1523.38 | 6003.63 | -3139.94 |
| 2018-19 | 43 | 13 | 747.61 | 7974.40 | -704.78 |
| 2019-20 | 41 | 13 | 489.54 | 7229.06 | -4283.19 |

**स्रोतः- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।**

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 50 करोड़ से अधिक की हानिवहन करने वाले राजकीय उपक्रमों के नाम **तालिका 1.16** में नीचे दिए गये है।

**तालिका 1.16:2019-20 में ₹ 50 करोड़ या अधिक हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रम**

*(₹ करोड़ में)*

| क्र सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | वहन की गई हानि |
|---|---|---|
| 1 | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड | 278.05 |
| 2 | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | 153.76 |

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों के संबंध में, एक कंपनी (यूएससीएल) ने 2019-20 के दौरान ₹ 0.02 करोड़ की हानि वहन की।

25 ऊर्जा एवं पॉवर क्षेत्र, संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र तथा परिवहन क्षेत्र।

## *निवल मूल्य का क्षरण*

**1.25** निवल मूल्य से आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं अधिशेष में से संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त कुल योग से है। यह एक उपक्रम स्वामियों के लिए उसके मूल्य का मापक है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है।

41 राजकीय उपक्रमों में उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गए लेखों के अनुसार पूँजी निवेश, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य **तालिका 1.17** में दिया गया है:

**तालिका 1.17: 2017-18 से 2019-20 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों का निवल मूल्य**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी | वर्ष के अंत में संचित लाभ (+) / हानि (-) | आस्थगित राजस्व व्यय | निवल मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 45409.39 | (-)100039.70 | 4.18 | (-)54634.50 |
| 2018-19 | 49288.17 | (-)97771.82 | 3.00 | (-)48486.70 |
| 2019-20 | 51383.84 | (-)94469.51 | 62.48 | (-)43148.15 |

वर्ष 2019-20 के लिए निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि इन 41 राजकीय उपक्रमों में से 15 राजकीय उपक्रमों में निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया था, क्योंकि इन राजकीय उपक्रमों में पूँजी निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 33384.14 करोड़ एवं ₹ 93721.74 करोड़ थी। इन 15 राजकीय उपक्रमों में से निवल मूल्य का अधिकतम क्षरण पाँच राजकीय उपक्रमों में था, जैसा कि तालिका 1.18 में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.18 31 मार्च 2020 को अधिकतम निवल मूल्य क्षरण वाले पांच राजकीय उपक्रम**

| राजकीय उपक्रम का नाम | क्षरित निवल मूल्य (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| **ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रम** | |
| जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | (-)19276.92 |
| अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | (-)17764.92 |
| जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | (-)17568.95 |
| गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड | (-)1172.77 |
| **ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमो के अतिरिक्त** | |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | (-)4330.79 |

इन 15 राजकीय उपक्रमों में जिनके निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया था, में से पाँच[26] राजकीय उपक्रमों ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 2988.55 करोड़ का लाभ अर्जित किया, यद्यपि इनकी संचित हानियां भारी मात्रा में थी।

26 आरएसआईसीएल, एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल एवं आरएसएलडीसी।

## राजकीय उपक्रमों की संचालन क्षमता

### *नियोजित पूँजी पर प्रतिफल*

**1.26** नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी राजकीय उपक्रम की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है।

आरओसीई की गणना एक राजकीय उपक्रम के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[27] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान समस्त 41 राजकीय उपक्रमों के आरओसीई का विवरण **तालिका 1.19** में दिया गया है:

**तालिका 1.19: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल**

| वर्ष | ईबीआईटी (₹ करोड़ में) | नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में) | आरओसीई (%) |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 17355.68 | 60380.28 | 28.74 |
| 2018-19 | 16085.07 | 61905.70 | 25.98 |
| 2019-20 | 18276.19 | 61841.88 | 29.55 |

**स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।**

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान राजकीय उपक्रमों का आरओसीई 25.98 प्रतिशत एवं 29.55 प्रतिशत के मध्य रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान आरओसीई उच्च था क्योंकि ईबीआईटी में ब्याज घटक सारभूत था एवं अत्यधिक संचित हानियों ने नियोजित पूँजी उल्लेखनीय रूप से कम कर दी था।

**41 राजकीय उपक्रमों में से 23 राजकीय उपक्रमों में ₹ 99720.45 करोड़ की संचित हानियां थी, जिसमें से ₹ 93964.36 करोड़ एवं ₹ 5297.94 करोड़ क्रमशः छः[28] ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों एवं दो[29] ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों से संबंधित थे।**

2019-20 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों का क्षेत्र-वार आरओसीई **तालिका 1.20** में दिया गया है:

27 नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां- आस्थगित राजस्व व्यय। आंकडे राजकीय उपक्रमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, के अनुसार है।

28 जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, आरवीपीएनएल, आरवीयूएनएल एवं जीएलपीएल।

29 आरएसआरटीसी एवं जेएमआरसीएल।

**तालिका 1.20: 2019-20 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों का क्षेत्र-वार आरओसीई**

*(प्रतिशत में)*

| क्र सं. | क्षेत्र का नाम | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ऊर्जा एवं पॉवर | 36.14 | 28.86 | 32.87 |
| 2 | उद्योग एवं व्यापार | 8.05 | 9.10 | 11.57 |
| 3 | वित्त | 17.87 | 18.20 | 21.00 |
| 4 | कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग | 9.95 | 16.69 | 17.01 |
| 5 | अन्य | 12.26 | 11.06 | 12.51 |

2017-18 से 2019-20 के दौरान ऊर्जा एवं शक्ति क्षेत्र का आरओसीई उच्च था क्योंकि अवधि के दौरान उदय सब्सिडी की प्राप्ति के कारण क्षेत्र का ईबीआईटी सारभूत रूप से बढ़ गया था। साथ ही, दो क्षेत्रों[30] के आरओसीई की गणना ऋणात्मक नियोजित पूँजी के कारण नहीं की जा सकी जबकि एक क्षेत्र[31] की आरओसीई 2017-18 से 2019-20 के दौरान ऋणात्मक थी, क्योंकि तीनो वित्तीय वर्षों के दौरान इसने हानि वहन की थी।

साथ ही, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों के प्रकरण में वर्ष 2019-20 के लिए ईबीआईटी ₹ 0.54 करोड़ थी जबकि इन राजकीय उपक्रमों में नियोजित पूँजी ₹ 621.21 करोड़ थी। इसलिए, 2019-20 के लिए आरओसीई की गणना 0.09 प्रतिशत परिकलित की गई।

### *सरकार के निवेश पर प्रतिफल*

**1.27** राजकीय उपक्रमों से राज्य सरकार द्वारा उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में अर्जित (लाभ अथवा हानि) से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि के समक्ष मापा जाता है एवं कुल निवेश पर लाभ की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है।

सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में सारभूत निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से ऐसे निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। इसलिए, सरकारी निवेश पर प्रतिफल की गणना ऐतिहासिक लागत के साथ-साथ राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य पर की गई है जिसे नीचे विस्तृत वर्णित किया गया है:

#### अ. *सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल (आरओआर)*

राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में राजकीय उपक्रमो में किये गये निवेश के आधार पर आरओआर की गणना की गई है। केवल ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है क्योंकि सरकार को इन ऋणों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार, यह सरकार द्वारा

30 संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र तथा परिवहन क्षेत्र।

31 शहरी विकास क्षेत्र।

किए गये पूँजी निवेश की प्रकृति के हैं सिवाय इसके कि ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाना है। साथ ही, अनुदान/सब्सिडी के रुप में दी गई निधि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि परिचालन एवं प्रशासनिक खर्च तथा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी का विभाजन उपलब्ध नहीं था।

2016-17 से 2019-20 के दौरान उदय योजना के अन्तर्गत तीनों राज्य डिस्कॉम्स को दी गई सब्सिडी को निवेश माना गया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से डिस्कॉम्स के ऋणों के अधिग्रहण के लिए सब्सिडी प्रदान की गयी थी। अतः निवेश पर प्रतिफल की तुलना दोनों प्रकार से अर्थात उदय के अंतर्गत दी गई सब्सिडी को निवेश मानते हुए एवं उक्त सब्सिडी को निवेश नहीं मानते हुए की गई है।

### ब. सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर किया जाना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। राज्य सरकार के राजकीय उपक्रमों में निवेश की ऐतिहासिक लागत की तुलना में निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) के आरओआरआर का आंकलन करने के लिए सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। 31 मार्च 2020 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को प्रत्येक वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में पूर्व निवेश/वर्षवार निवेशित निधि को चक्रवृद्धित किया गया है। चक्रवृद्धि, सरकारी उधार की वर्षवार औसत ब्याज दर पर किया गया है, जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधि की न्यूनतम लागत है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना, जहाँ राज्य सरकार द्वारा इन राजकीय उपक्रमों की स्थापना से 31 मार्च 2020 तक धन का निवेश किया गया है, के संबंध में की गई है।

### *राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर*

**1.28** 41 राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियों एवं निगमों) मे 31 मार्च 2020 को निवेश की राशि ₹ 157588.59 करोड़ थी, जिसमे पूँजी के रूप में ₹ 51383.84 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 106204.75 करोड़ सम्मिलित है। राज्य सरकार ने इन 41 राजकीय उपक्रमों में से 32 में पूँजी, ऋण एवं अनुदान व सब्सिडी के रूप में निधियों का निवेश किया है। इन 32 राजकीय उपक्रमों में, 31 मार्च 2020 को राज्य सरकार का निवेश ₹ 56751.61 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 49133.24 करोड़[32] एवं दीर्घावधि ऋणों के

32 राज्य सरकार का कुल निवेश (₹ 50531.10 करोड़) - पाँच ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों की प्रारंभिक संचित हानियां (₹ 1397.86 करोड़)

रूप में ₹ 7618.37 करोड़ था। राज्य सरकार ने अन्य नौ राजकीय उपक्रमों में निधियों का कोई भी प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया था।

राज्य सरकार द्वारा 2000-01 से 2019-20 की अवधि के लिए निवेशित ऐसे निवेश के वर्तमान मूल्य के समक्ष निवेश का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-1.4 में** दर्शाया गया है। अनुबंध से देखा जा सकता है कि 2000-01 से 2019-20 के दौरान, इन राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों की लागत वसूल करने हेतु, वर्ष के लिये कुल अर्जन न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रहा।

इन 32 राजकीय उपक्रमों का वर्ष के लिए कुल लाभ (लाभ एवं हानि का निवल) 2017-18 में ₹ 2057.58 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 3550.08 करोड़ हो गया। 32 राजकीय उपक्रमों में उनकी ऐतिहासिक लागत पर पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋणों को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार का निवेश 2017-18 में ₹ 45010.16 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 51339.66 करोड़ हो गया। उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी को निवेश के रूप मे मानने पर, राज्य सरकार का निवेश 2017-18 में ₹ 66010.16 करोड़ (अर्थात् उदय के अन्तर्गत 2017-18 तक प्राप्त ₹ 21000 करोड़ की सब्सिडी सहित) से बढकर 2019-20 में ₹ 98156.13 करोड़ (अर्थात 2018-19 एवं 2019-20 में उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी क्रमशः ₹ 12000 करोड़ एवं ₹ 13816.47 करोड़ सहित) हो गया।

राजकीय उपक्रमों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है, में 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए आरओआर एवं आरओआरआर **तालिका 1.21** में दी गई है।

**तालिका 1.21: सरकर के निवेश पर प्रतिफल की दर**

*(₹ करोड़ में)*

| वित्तीय वर्ष | कुल अर्जन/ हानि (-) | वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर राज्य सरकार द्वारा निवेश | आरओआर (%) | वर्ष के अंत में निवेश के वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा निवेश | आरओआरआर (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **उदय के बिना** | | | | | |
| 2017-18 | 2057.58 | 45010.16 | 4.57 | 74548.38 | 2.76 |
| 2018-19 | 2893.35 | 49088.66 | 5.89 | 84366.64 | 3.43 |
| 2019-20 | 3550.08 | 51339.66 | 6.91 | 92767.49 | 3.83 |
| **उदय के साथ** | | | | | |
| 2017-18 | 2057.58 | 66010.16 | 3.12 | 97815.31 | 2.10 |
| 2018-19 | 2893.35 | 82088.66 | 3.52 | 122208.06 | 2.37 |
| 2019-20 | 3550.08 | 98156.13 | 3.62 | 148093.09 | 2.40 |

2019-20 के दौरान आरओआर (3.83 प्रतिशत) आरओआरआर (6.91 प्रतिशत) से कम था, जैसा कि प्रतिफलों की तुलना से यह इंगित होता है। तथापि, उदय के अन्तर्गत दी गई

सब्सिडी को भी निवेश मानने पर, वर्ष 2019-20 के लिए आरओआर 6.91 प्रतिशत (उदय के बिना) से घट कर 3.62 (उदय के साथ) हो जाता है जबकि समान अवधि के लिए आरओआरआर 3.83 प्रतिशत (उदय के बिना) से घट कर 2.40 (उदय के साथ) हो जाता है।

2019-20 के दौरान 32 राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश पर क्षेत्र-वार प्रतिफल दर को **तालिका 1.22** में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.22: राज्य सरकार के निवेश पर क्षेत्र-वार प्रतिफल**

*(₹ करोड़ में)*

| क्र सं. | क्षेत्र का नाम | कुल अर्जन/हानि (-) | वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर राज्य सरकार द्वारा निवेश | आरओआर (%) | वर्ष के अंत में निवेश के वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा निवेश | आरओआरआर (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऊर्जा एवं पॉवर (उदय के बिना) | 3302.07 | 46498.18 | 7.10 | 79161.36 | 4.17 |
| | ऊर्जा एवं पॉवर (उदय के साथ) | 3302.07 | 93314.65 | 3.54 | 134486.96 | 2.46 |
| 2 | उद्योग एवं व्यापार | 213.35 | 475.35 | 44.88 | 4580.76 | 4.66 |
| 3 | वित्त | 77.08 | 272.34 | 28.30 | 511.43 | 15.07 |
| 4 | कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग | 90.21 | 66.27 | 136.12 | 347.99 | 25.92 |
| 5 | संस्कृति एवं पर्यटन | -6.86 | 68.61 | -10.00 | 333.30 | -2.06 |
| 6 | परिवहन | -153.82 | 1275.02 | -12.06 | 3281.84 | -4.69 |
| 7 | शहरी विकास | -39.16 | 2559.07 | -1.53 | 4228.88 | -0.93 |
| 8 | अन्य | 67.21 | 124.82 | 53.85 | 321.93 | 20.88 |